मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोकरण में '' रिन्यू पावर'' कम्पनी के 1.3 ''गीगावॉट पीक'' के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा जैसलमेर में स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी।

पोकरण में 1.3 गीगा वॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को गति मिलेगी-भजनलाल

पोकरण, 17 अप्रैल (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को पोकरण में '' रिन्यू पावर'' कम्पनी के 1.3 ''गीगावॉट पीक'' के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया।

- **केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।**

उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से पैदा होने वाली समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार, केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

इससे पहले, हैलीपेड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमन्त्री स्वागत किया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, विधायक महंत प्रतापपुरी, छोटूसिंह भाटी, ''रिन्यू एनर्जी'' के सीईओ सुमंत सिन्हा व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित थे।

1950 के दशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल. ए. सी.) पर भारी संख्या में सेना तैनात है। कई दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताएं केवल धीरे-धीरे तनाव कम करने में सफल रही हैं, जबकि सीमा उल्लंघन की घटनाएं और क्षेत्रीय दावे बंद नहीं हुए हैं।

मुख्य अंतर यह है कि आज का भारत 1950 के दशक की आदर्शवादी सोच जितना भोला नहीं हैं। सन् 1962 के कटु अनुभव और हाल ही में 2020 की गलवान घाटी की खूनी झड़प ने नई दिल्ली को यह सिखा दिया है कि प्रतीकात्मकता एवं सांस्कृतिक पहल तभी सार्थक हैं, जब वे मूलभूत विवादों के समाधान के साथ जुड़ी हों। अब ''एशियाई भाईचारे'' की पुरानी भाषा का स्थान रणनीतिक सतर्कता ने ले लिया है, और भारतीय नीति निर्माता बीजिंग से आने वाले किसी भी कूटनीतिक संकेत को कहीं अधिक व्यवहारिक और सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोण से देखते हैं।

फिर भी, चीन के दृष्टिकोण से देखें तो यह रणनीति उसी पुरानी सोच का अनुसरण करती लगती है कि जनता की सोच को नरम करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, जनसंपर्क और आर्थिक प्रलोभनों का उपयोग करो, लेकिन सीमा पर कठोर रूख बरकरार रखो। यह, द्विपक्षीय संबंधों के माहौल को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को मध्यम करने और स्थिरता के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास है, लेकिन वास्तविक रियायतें दिए बिना, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इस अर्थ में, कोई यह तर्क दे सकता है कि यह ''हिंदी-चीनी भाई-भाई'' का आधुनिक लेन-देन वाला संकरण है, जिसमें 1950 के दशक की मासूमियत, आशावाद और आदर्शवाद नहीं है, और दोनों राष्ट्रों को इतिहास और वास्तविक राजनीति ने बहुत कठोर बना दिया है। नारे भले ही फीके पड़ गए हों, लेकिन अनसुलझे विवादों और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को छुपाने के लिए ''सॉफ्ट पावर डिप्लॉमसी'' का उपयोग आज भी जारी है, जो इस जटिल और असहज रिश्ते की पहचान है।

कच्चे मकान में आग लगने से भाई-बहन जिंदा जले

हादसे में झुलसे माँ-बाप चार में से दो बच्चों को ही आग से बाहर निकाल पाये

उदयपुर, 17 अप्रैल। उदयपुर में एक कच्चे मकान में लगी आग से दो नाबालिग जिंदा जल गए। झुलसे मां-बाप चार में से केवल दो ही बच्चों को आग से बाहर निकाल सके।

हादसा इतना दर्दनाक था कि मासूम भाई-बहन कुछ मिनटों ही पूरी तरह जल गए। उनकी बॉडी कोयले जैसी हो गई थी। घटना पाटिया थाना क्षेत्र के छतरी इलाके की बुधवार रात 8 बजे की है।

जानकारी के अनुसार, आग छतरी के रहने वाले प्रभुलाल गमेती (48)के घर पर लगी थी। प्रभुलाल की घर के बाहर ही चाय की दुकान है। सोमवार रात अचानक ही उनके कच्चे मकान में तेजी से आग लग गई। कुछ मिनटों में उनके चारों बच्चे आग में घिर गए। प्रभुलाल अपनी पत्नी पुष्पा (42) के साथ घर के अंदर भागे लेकिन दो ही बच्चों को बाहर निकाल सके। दो बच्चे उनकी आंखों के सामने ही आग में जल गए। मां-बाप की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी बच्चों को निकालने की कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हादसे में दो बच्चों, जीनल गमेती (14)और सिद्धार्थ गमेती (8) की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। घायल प्रभुलाल की भाभी गीता बाई ने बताया कि छत पर छोपडी और तिरपाल लगा था। पास में बिजली का पोल है जिसका तार छत पर टूट कर गिर गया। जिसके बाद घर में आग लग गई।

- **घायल पिता प्रभुलाल की भाभी के अनुसार, मकान की छत पर झोपड़ी व तिरपाल लगा था। पास में बिजली के पोल पर तार टूट कर छत पर गिरा, जिससे घर में आग लग गई।**

थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी या पेट्रोल से लगी है, फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों नाबालिगों के शव का गुरुवार को खेरवाडा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौप दिए वहीं मृतक के माता-पिता का इलाज जारी है।

''रॉ'' के पूर्व मुखिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुस्तक की विषयवस्तु को ''निराधार'' तथा ''गलतियों से भरी'' बताया है। फारुक ने कहा, ''अगर वे (दुलत) मुझे अपना मित्र मानते हैं, तो उन्हें यह पुस्तक लिखनी ही नहीं चाहिये थी। उन्होंने रानी एलिजाबेथ की प्रसिद्ध उक्ति को दोहराते हुये कहा: ''स्मृतियां भिन्न हो सकती हैं।''

डॉ. अब्दुल्ला की बेटी सफिया अब्दुल्ला खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ''एक्स'' पर कहा है: ''दुलत सदैव एक जासूस रहे तथा उनकी निष्ठा केवल स्वयं के प्रति रही। अपनी पहले वाली पुस्तकों में उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि उन्होंने किस-किस को लपेट लिया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है तथा उन्होंने बार-बार असत्य से काम लिया है।''

दुलत ने अपनी पुस्तक में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई डॉ. फारुक एवं उमर अब्दुल्ला की मीटिंग का उल्लेख किया है, जो उनके अनुसार, संसद में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक के पारित होने से पहले हुई थी। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रैंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा है, ''ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में नैशनल कॉन्फ्रैंस की विधानसभा चुनावों में जीत, 2019 में दी गईं उनकी सेवाओं का पुरस्कार था।

- **पर, बात कुछ बिगड़ सी गई, डॉ. अब्दुल्ला के राजनीतिक प्रतिद्वंदी डॉ. फारुख अब्दुल्ला पर इस मसले पर कई आरोप लगा कर, राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूक रहे हैं।**
- **हार कर अब्दुल्ला को भी कहना पड़ा, कि अगर दुलत साहब मेरे मित्र हैं, तो उन्हें यह किताब नहीं लिखनी चाहिए थी।**

महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक, हिंदी पढ़ाई जाएगी

मुंबई, 17 अप्रैल। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ ना अनिवार्य होगा। यह दो भाषाओं के अध्ययन की प्रथा से अलग है। राज्य के राजनीतिक दल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए।

कक्षा 1 से 5 के लिए तीन-भाषा फॉर्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का एक हिस्सा है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम ढ ांचे के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना घोषित की है।

अब तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेश करने को कहा है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मामले में भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। जिस पर केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी उपस्थित हुए थे।

जल्द शुरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यात्रा संचालित करने पर बातचीत हो रही है, प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी ही नोटिस आने वाला है और मार्ग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में दोनों देशों के उड्डयन विभागों के बीच तकनीकी बातचीत जारी है और जैसे ही सहमति बनती है, वैसे ही जानकारी साझा की जाएगी।

भारत में चीन के राजदूत द्वारा एक्स पर पोस्ट में 85 हजार भारतीयों को वीज़ा दिये जाने संबंधी दावे के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब संबंध सामान्य बनाने और जनता के बीच संपर्क बढ ाने की बात होगी तो वीज़ा भी बढ़ेगा।

हालांकि उनके पास इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं हैं।

ट्रम्प प्रशासन की ''रैसिप्रोकल'' आक्रामक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए सरकार के लिए राजस्व का संभावित स्रोत बताया। नवारो ने कहा, टैरिफ इस देश के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बनेंगे, पर हम धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे।''

लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ के प्रति बाज़ार की प्रतिक्रिया काफी तीव्र व क्रूर थी। अमेरिकन शेयर बाज़ार गिर गया। व्यापारिक सहयोगी देशों ने जवाबी धमकियाँ दी। अमेरिका व उसके व्यापारिक मित्रों के बीच बनाव चरम पर पहुँच गया। भारी एवं त्वरित विरोध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों व अपने ही लोगों के दबाव में आ गए और क्रियान्वयन के 13 घंटे में ही उन्होंने नई टैरिफ नीति के क्रियान्वयन को 90 दिन के लिए टाल दिया। यह निर्णय प्रशासन की आर्थिक टीम की आंतरिक खींचतान का प्रतीक बन गया।

अमेरिका के ट्रैजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बैसैंट व अन्य उदारवादी आर्थिक सलाहकारों ने बार-बार चेतावनी दी थी कि आक्रामक टैरिफ नीति ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा बन सकती है और अमेरिका में महंगाई का संकट गहरा सकता है। लेकिन नवारो, जो कठोर रुख के हिमायती हैं, पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार आक्रामक रुख पर जोर देते रहे, जबकि इसमें भारी खतरा है।

ट्रंप की ट्रेड नीति पर नवारो की छाप हमेशा विवादास्पद रही है। जहाँ समर्थकों ने स्थापित वैश्विक व्यापार प्रणालियों को चुनौती देने की उनकी तत्परता का समर्थन किया, खासकर बौद्धिक सम्पदा चोरी और जबरन तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे पर चीन से टकराव के मामले में। लेकिन उनके आलोचकों, खासकर वे जो खुले बाज़ार के समर्थक हैं, ने कहा कि नवारो का यकीन आर्थिक भ्रांतियों से प्रेरित है। उन्होंने कहा, व्यापार घाटा अपने आप में नुकसानदेह नहीं होता और संरक्षणवादी उपाय कीमतें बढ़ा सकते हैं और अमेरिकी निर्यात पर प्रतिकार स्वरूप टैरिफ लग सकता है।

अंत में भले ही टैरिफ नीति को देरी व आतंरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, पर ट्रंप के ट्रेड एजेंडा पर नवारो का गहरा असर कायम है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवादी व्यापार की सजा ट्रंप के कार्यकाल की पहचान रही थी, जिसका अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। आज भी वैश्विक व्यापार के भविष्य और आपस में जुड़ी हुई विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर ट्रंप के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं।

अजमेर दरगाह विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टाल दी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वागीश कुमार और आशीष कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर की निचली अदालत में अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए वाद दायर किया गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में गत नवंबर माह में सभी अदालतों को आदेश दिए थे कि ऐसे किसी भी मामले में आदेश या कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी, जिसमें पूजा स्थल या पुरातत्व विभाग से जांच कराने का मुद्दा जुड़ा हो। याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश की जानकारी गत दिसंबर माह में ही संबंधित अदालत को दी गई, लेकिन अदालत ने कार्रवाई नहीं रोकी। इसके बाद पुन: जनवरी माह में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालत को अवगत कराया।

इसके बावजूद भी निचली अदालत मामले में कार्रवाई जारी रख रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूजा करने के अधिकार के मुद्दे पर सिविल कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। वहीं दावाकर्ता ने बहुत कम कोर्ट फीस के साथ दावा किया है। इसलिए निचली अदालत को मामले की सुनवाई करने से रोका जाए। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि याचिकाकर्ता दावे में पक्षकार नहीं है, ऐसे में वह हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है।

उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धमकी देने का फोन किया और ना ही उनसे कोई मोबाइल या सिम बरामद हुई। वे अन्य आरोपियों से संपर्क में भी नहीं थे, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र भी नहीं रचा है, प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इसके विरोध में लोक अभियोजक लियाकत अली ने कहा कि आरोपियों ने संगठित अपराध कर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मारने की धमकी दी है। जांच में आया है कि जुनैद ने स्वयं के नाम से सिम खरीदकर मोहम्मद अशरफ के साथ मिलकर केन्द्रीय कारागृह में बंद कैदी को सिम मुहैया कराई और अन्य आरोपियों ने इस सिम का उपयोग किया।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल करने तथा विवादास्पद वक्फ भूमि की स्थिति बदलने के लिए कलैक्टर को दिए गए अधिकारों से संबंधित है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कहा कि, प्रारंभिक रूप से या कुछ खास भागों को पढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक लगाना अनुचित होगा।

उन्होंने कहा, हम आपको कानून के इतिहास में ले चलते है। लगभग 100 साल पहले 1923 में यह कानून बना या फिर 1935 में फिर 1954 में बना, उसके बाद 1987 में संशोधन हुआ। फिर 1995 में एक समिति का सुझाव आया और संशोधन हुआ। इसी बीच हम सरकार व संसद के रूप में जनता के प्रति जवाब देह है। हमें लाखों लोगों ने अपने सुझाव, जिनके आधार पर कुछ प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए गाँव के गाँव वक्फ के रूप में ले लिए गए हैं। लोगों की प्राइवेट सम्पत्ति भी वक्फ के रूप में ले ली गई है और जब ये मुद्दे हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा ये विवादास्पद सवाल है, इस पर कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह ऐसा मामला है जिसके कोर्ट को सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों को जमीन पर व सम्पत्ति पर उनके अधिकार को प्रभावित करेगा।

जब जस्टिस संजय कुमार ने कहा, कोर्ट अभी निर्णय नहीं ले रहा तो मेहता ने कहा, लेकिन आप बहुत गंभीर और कठोर कदम उठा रहे है आंशिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्टे लगाकर।

मेहता ने कहा, मेरा निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह दिया जाए। मैं वादा करता हूँ, एक सप्ताह के भीतर मैं कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दूँगा। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह के विचार किया जा सके।

सीजेआई खन्ना ने कहा, ''हो सकता है, कुछ विसंगतियाँ हो, पर हमने कहा है कि कुछ सकारात्मक बातें हैं मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी ने कहा था कि पूर्ण रोक लगाई जाए। हमने कब नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे है। पर इसी के साथ हम नहीं चाहते है कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। हम नहीं चाहते कि अभी जो स्थिति है, उसमें इतना बदलाव कर दिया जाए कि उसका प्रभाव भारी पड़े।

इसमें कुछ प्रावधान है जैसे वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। हम इस पर स्टे नहीं लगा रहे है।

आप का कहना सही है कि कोर्ट का मुख्य नियम है कि वे किसी भी कानून पर प्रारंभिक अवस्था में रोक नहीं लगा सकते है। पर एक अन्य नियम यह भी है कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।

मेहता ने फिर कोर्ट को ''वक्फ बाय यूज़र'' के प्रावधान पर और वक्फ बोर्ड व काउन्सिल्स में नियुक्तियों के संबंध में भरोसा दिलाया।

गुरुवार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वास्तविक बॉस हैं तथा वे ही यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी एजेंसी किस नेता के पीछे पड़ेगी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908